

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

अरुण कुमार भार्गव बनाम स्टेट आफ राजस्थान

एकलपीठ दांडिक निगरानी याचिका संख्या 466/2009  
अन्तर्गत धारा 397 सपठित धारा 401 दण्ड प्रक्रिया संहिता  
विरुद्ध आदेश दिनांक 22.6.2000 पारित विशिष्ट  
न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, झालावाड़ जिसके  
द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1955 को  
वाक्यांश 19(ए) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की  
धारा 3 व 7 का प्रसंज्ञान लेते हुए उसे वारन्ट गिरफ्तारी से  
तलब किया गया।

आदेश दिनांक

मार्च 31, 2009

उपस्थित:  
माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

श्री अनिरुद्ध सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।  
श्री पीयूष कुमार, लोक अभियोजक।

न्यायालय द्वारा:

प्रार्थी की ओर से यह दांडिक निगरानी याचिका विशिष्ट न्यायाधीश,  
आवश्यक वस्तु अधिनियम, झालावाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.6.2009 के  
विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश  
1955 को वाक्यांश 19(ए) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व  
7 का प्रसंज्ञान लेते हुए उसे वारन्ट गिरफ्तारी से तलब किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध सिंह ने इस प्रकरण के तथ्यों  
में जाने से पूर्व पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय 2007(1)  
एफएसी 26 दीवानचन्द बनाम स्टेट आफ पंजाब व अन्य की ओर इस

न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि इस प्रकरण में कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये प्रार्थी के खिलाफ लिया गया प्रसंज्ञान विधि विरुद्ध है।

विद्वान लोक अभियोजक श्री पीयूष कुमार ने उनके इस तर्क का घोर विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुनने एवं आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त मैं आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाता हूँ।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह दांडिक निगरानी याचिका निरस्त की जाती है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त न्यायिक विनिश्चय का उद्धरण देते हुए जो प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष उठाया है उसे प्रार्थी आरोप बहस के समय विचारण न्यायालय के समक्ष उठाने के लिये स्वतंत्र रहेगा। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र भी खारिज किया जाता है।

महेशचन्द्र शर्मा  
न्यायाधिपति

सुरेश